कार्यालय नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा।

संख्याः–572 /रा0वि0/न0नि0म0वृ0,मथुरा/2019 दिनांक :– 30-12-2019

सार्वजनिक सूचना

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधि0 सं0 02 सन् 1959) की धारा 172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) धारा 114 की उपधारा 3 (9–क) तथा धारा 541 के खण्ड (3) के अधीन पार्किंग शुल्क उपविधि बनायी गयी है। यदि किसी व्यक्ति/विशेष को उक्त उपविधि पर आपत्ति/सुझाव देने हों तो वह 15 दिन के अन्दर नगर निगम की वेबसाईट **nnmvonline.in** एंव कार्यालय में अवलोकन कर सकते हैं या नगर निगम मथुरा–वृन्दावन कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं तथा उक्त नियमावली से सम्बन्धित आपत्ति एंव सुझाव किसी भी कार्यदिवस में लिखित रूप से दे सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति व सुझाव अमान्य होगें।

संयुक्त नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन
मथुरा।

प्रतिलिपिः–

1. मा0 महापौर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. यूनीकॉम एड0 को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला दैनिक जागरण एवं दैनिक हिन्दुस्तान में उपरोक्त निविदा सूचना एक दिन न्यूनतम स्थान पर पर प्रकाशित कराते हुये प्रकाशित अंक की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संयुक्त नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा

Scanned by CamScanner

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधि0 सं0 02 सन् 1959) की धारा 172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) धारा 114 की उपधारा 3 (9–क) तथा धारा 541 के खण्ड (3) के अधीन एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुक्रम में पार्किंग शुल्क उपविधि जो नगर निगम मथुरा वृन्दावन में वित्तीय वर्ष 2019–20 मे गजट प्रकाशन के दिनांक से लागू की जानी है।

पार्किंग उपविधि– 2019

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**
   1. यह उपविधि नगर निगम मथुरा वृन्दावन ''पार्किंग उपविधि 2019–20'' कही जायेगी।
   2. यह नगर निगम मथुरा वृन्दावन की सीमा मे लागू होगी।
   3. यह गजट मे प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत होगी।
2. **परिभाषाएं–**

(1)जब तक विषय संदर्भ मे कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि मे–

(एक) '' अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से है।

(दो) '' निगम'' से तात्पर्य नगर निगम मथुरा वृन्दावन से है।

(तीन) '' नगर आयुक्त'' से तात्पर्य नगर निगम मथुरा वृन्दावन के नगर आयुक्त से है।

(चार) ''पार्किंग स्थल'' का तात्पर्य नगर निगम मथुरा वृन्दावन हेतु गठित समिति द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार चिहिन्त किये जाने वाले पार्किंग स्थलो/स्टैण्डों से है, जंहा पर चलने वाले सवारी वाहनों का ठहराव, सवारी उतारने/चढाने तथा माल लोड/अनलोड किया जाता है, जिनका अनुमोदन नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा किया गया हो।

(पॉच) प्राईवेट/व्यवसायिक पार्किंग का तात्पर्य ऐसे पार्किंग स्थल से है जो निजी भूमि पर व्यावसायिक उद्देश्य से वाहनों की पार्किगं/वसूली की जाती है।

(छः) प्राईवेट पार्किंग का तात्पर्य व चिन्हित स्थल जहॉ पर दिन/रात मे हल्के चार पहिया वाहन जो व्यक्तिगत प्रयोग मे लाये जाते है, जैसे कार, जीप, स्पोर्टस यूटीलिटी व्हीकल इत्यादि पार्क किये जायेगें समझा, जायेगा।

(सात) व्यावसायिक पार्किंग का तात्पर्य व चिन्हित स्थल जहॉ पर भारी/वाणिज्यिक वाहन जो लघु/विस्तृत औधोगिक इकाईयां के प्रयोग मे लाये जाते है, जैसे व्यवसायिक तीन पहिया वाहन, ट्रक, मिनी ट्रक, ट्राली इत्यादि पार्क किये जायेगे, समझा जायेगा।

(आठ) सार्वजनिक वाहन का तात्पर्य नगर निगम मथुरा वृन्दावन सीमा क्षेत्र मे चलने वाले सवारी वाहनों तथा माल लोड/अनलोड करने वाले वाहन से है।

Scanned by CamScanner

(2) इन उपविधि मे प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम मे परिभाषित शब्दों और पदो, के वही अर्थ होगे जो अधिनियम मे उनके लिए समनुदेशित हो।

3. प्रतिषेधः–

(1) नगर आयुक्त द्वारा घोषित किये गये पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर कोई सार्वजनिक वाहन नही खडे किये जायेगे। निर्धारित पार्किंग स्थल/स्टैण्ड के अतिरिक्त अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन खडे कर सवारी भरना उपविधि का उल्लंघन माना जायेगा।

(2) नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा चिन्हित पार्किंग स्थल/स्टैण्ड के 500 मीटर की परिधि के क्षेत्र मे कोई भी प्राईवेट/व्यवसायिक वाहन पार्किंग स्थल/स्टैण्ड नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी प्राईवेट/व्यवसायिक वाहन खडे पाये जायेगें, उन्हें चैन माउन्टेड क्रेन वाहन द्वारा उठाकर पार्किंग स्थल/स्टैण्ड पर खडा कर दिया जायेगा। पार्किंग स्थल/स्टैण्ड पर ले जाने एवं खडा करने के दौरान आने वाले खर्च और यदि वाहन मे कोई टूट फूट अथवा क्षति होती है तो उसके लिये नगर निगम उत्तरदायी नही होगा।

(3) चैन माउन्टेड क्रेन वाहन या अन्य किसी विधि से उठाये गये वाहनों पर उपविधि मे उल्लिखित समिति द्वारा निर्धारित किये गये दण्ड शुल्क एवं हर्जे खर्चे की धनराशि जमा करने के उपरान्त ही चेतावनी के साथ वाहन को छोडा जायेगा।

(4) वाहन जब्त किये जाने से 8–8 घण्टे के अन्तराल पर जुर्माने की धनराशि मे वृद्धि होती जायेगी, जिसके लिये वाहन स्वामी स्वंय उत्तरदायी होगा। दण्ड शुल्क एवं हर्जे खर्चे की वसूली पार्किंग शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, जिसकी वसूली पार्किंग वसूली पार्किंग प्रभारी द्वारा की जायेगी, जिसका पार्किंग स्थल के ठेकेदार से कोई सम्बन्ध नही होगा।

(5) निर्धारित पार्किंग स्थल/स्टैण्ड के अतिरिक्त नियत परिधि मे खडे पाये जाने वाले वाहनों से समिति द्वारा निर्धारित किये गये दण्ड शुल्क या उपविधि मे नियमानुसार निर्धारित जुर्माने की वसूली पार्किंग प्रभारी द्वारा वसूल की जायेगी।

(6) निर्धारित पार्किंग स्थल/स्टैण्ड की परिधि मे आने वाले क्षेत्र मे वाहनों के पार्किंग के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य नही किया जायेगा। पार्किंग स्थल/स्टैण्ड की परिधि मे किसी प्रकार का अतिक्रमण या निर्माण पाये जाने की दशा मे पार्किंग का ठेका निरस्त करते हुये नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

4. <u>प्राईवेट पार्किगं के लिये उपबन्ध</u>

(1) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भूमि या भवन के किसी भाग पर वाहनो की पार्किंग नहीं करायेगा और न ही बिना नगर निगम से अनुबन्धित कराये कोई वसूली करेगा।

(2) अनुबन्ध हेतु निर्धारित प्रतिवर्ष शुल्क की दरें निम्नानुसार हैः–

1. 50 वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल– 20,000/–

2. 50 से – 100 तक वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल– 35,000/–

Scanned by CamScanner

3. 100 से –200 तक वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल– 50,000/–

4. 200 से ऊपर वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल– 1,00,000/–

वाहन की क्षमता अनुसार नगर निगम द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क जमा करते हुये अनुबन्धित कराना आवश्यक होगा।

(3) प्राईवेट पार्किंगं संचालक नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रति वाहन पार्किंगं शुल्क की दरों से अधिक वसूली नहीं करेगा।

(4) प्राईवेट पार्किंग संचालक को पार्किंग स्थल पर जनसुविधाओं यथा शौचालय, पेयजल व्यवस्था तथा बैठने के लिये टीन शेड एवं कुर्सी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

(5) ठेकेदार के पार्किंगं कर्मचारियों का ड्रैस निर्धारित हो।

(6) पार्किंगं रसीदों पर पार्किंगं स्वामी का नाम, पता व मोबाईल नं0 अंकित होना चाहिये।

(7) पार्किंगं करने वाले वाहन स्वामी का नाम, वाहन नं0, व समय रसीदों पर अंकित किया जाये।

(8) पार्किंगं स्थल पर निर्धारित रेट लिस्ट का बोर्ड लगाया जाये।

(9)पार्किंगं स्थल पर गाड़ी चोरी आदि की जिम्मेदारी पार्किंगं स्वामी की होगी।

(10) पार्किंगं स्वामी व निगम के बीच विवाद की होने की स्थिति में कार्यकारिणी समिति द्वारा विवाद निस्तारित किया जायेगा।

5. पार्किंग शुल्क दरें–

नगर निगम मथुरा वृन्दावन सीमा क्षेत्र मे वाहनों की पार्किंग शुल्क (सवारी भरने या माल उतारने एवं चढाने हेतु) की प्रतिदिन दरें निम्नवत् होगी:–

वाहन का नाम	पार्किंग शुल्क
1. ट्रक व बस मिनी बस, मेटाडोर,	रू0 100/–
2. कार, जीप, टैक्सी–सूमो आदि	रू0 50/–
3. टैम्पा, थ्री–व्हीलर, ई रिक्शा	रू0 30/–
4. मोटर साइकिल, स्कूटर	रू0 10/–
5. साईकिल	रू0 02/–

6–(क) पार्किंग स्थल/स्टैण्ड का चयन–

(1) पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों के चयन हेतु अपर नगर आयुक्त, अधिशासी अभियन्ता, पार्किंग प्रभारी, जिला प्रशासन/पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा नामित अधिकारी एवं कम से कम एक जनप्रतिनिधि की गठित समिति द्वारा नगर क्षेत्र के सभी पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों का स्थलीय सत्यापन कर सूची नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा वृन्दावन के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) पार्किंग स्थल के चयन के अतिरिक्त निविदा/अनुबन्ध की शर्तो एवं दण्ड शुल्क आदि निर्धारित करने का अधिकार धारा 4 (1) के अर्न्तगत नियुक्त समिति को होगा, जो तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक समिति द्वारा कोई नया निर्णय न किया जाये।

Scanned by CamScanner

(3) समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों की सूची, निविदा/अनुबन्ध की शर्तो एवं दण्ड शुल्क आदि पर अन्तिम रूप से निर्णय लेने का सर्वधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा वृन्दावन मे निहित होगा।

1– **नियम व शर्तेः–**

(क) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व धर्मार्थ कार्य में लगे वाहन तथा संस्थानों/विद्यालयों के ऐसे वाहन जो छात्र–छात्राओं को ले जाने मे प्रयुक्त होते है, पार्किंग शुल्क से मुक्त होगे।

(ख) नगर निगम सीमान्तर्गत चलने वाले सवारी वाहनों एवं माल वाहनों जो नगर निगम सीमा में सवारी उतारने एवं माल लोड/अपलोड करने वाले वाहनों पर पार्किगं/स्टैण्ड शुल्क देना अनिवार्य होगा।

(ग) समस्त सार्वजनिक वाहन (सवारी वाहन) नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा निर्धारित किये गये पार्किंग स्थल/स्टैण्ड पर ही खडे होगें। पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों का चयन तथा स्थान परिवर्तन करने का अधिकार उपविधिकी धारा 4 (क) के अर्न्तगत नियुक्त समिति मे निहित होगा।

(घ) निर्धारित पार्किंग स्थल/स्टैण्ड के अतिरिक्त वाहनों को खडा कर सवारी भरते पाये जाने पर नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा निर्धारित की गयी धनराशि दण्ड स्वरूप उनके द्वारा वसूली की जायेगी।

(ड) पार्किंग शुल्क का ठेका नगर निगम सीमा क्षेत्र मे स्थित समस्त पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों का एक साथ या अलग–अलग उपविधि की धारा 4 (क) के अर्न्तगत नगर आयुक्त द्वारा नियुक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय एवं निर्धारित किये गये शर्तो के अनुसार प्रत्येक वर्ष तब तक किया जाता रहेगा जब तक समिति द्वारा कोई नया निर्णय न किया गया हो किन्ही परिस्थितियों मे यदि समिति द्वारा लिये गये निर्णय मे कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो उक्त परिस्थिति मे नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा लिये गये निर्णयों को अन्तिम माना जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व समस्त ठेके निविदा या खुली बोली के माध्यम से सम्पादित कर लिये जायेगे। किन्ही कारणों से यदि ठेका दिनांक 31 मार्च के पश्चात् किया जाता है तो प्रत्येक दशा मे ठेका सम्बन्धित वित्तीय तक (31 मार्च तक) ही मान्य होगे। ठेका ने होने की स्थिति मे निर्धारित दर पर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा निर्धारित शुल्क पर वसूली की जायेगी।

(च) नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा स्वीकृति ठेके की आधी धनराशि तत्काल नगर निगम कोष मे जमा करनी होगी। पूर्ण ठेके की अवशेष धनराशि 01 अक्टूबर से पूर्व जमा करनी होगी। स्टाम्प अधिनियम के अर्न्तगत निर्धारित स्टाम्प पर नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित करानी होगी ठेके के समय निविदा मे दर्शायी गयी समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण किये जाने के पश्चात् ही स्वीकृत ठेके की वसूली हेतु ठेकेदार को अधिकार–पत्र दिया जायेगा। ठेका स्वीकृत होने पर वसूली मे प्रयुक्त की जानी वाली रसीदो पर अंकित क्रमांको की प्रविष्टि नगर निगम कार्यालय से प्रमाणित कराना आवश्यक होगा। नियमानुसार निष्पादित किये गये अनुबन्ध की किसी भी शर्ते का उल्लंघन करने की दशा मे ठेका निरस्त करने का सर्वधिकार नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा वृन्दावन मे निहित होगा।

(छ) जिला प्रशासन अथवा पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों के अतिरिक्त नगर क्षेत्र के किन्ही स्थानों पर वाहन खडे किये जाने को प्रतिबन्धित करने या किसी देवी आपदा

Scanned by CamScanner

आदि के कारण कोई भी छूट प्रदान नही की जायेगी।

शास्ति और अपराधों का प्रशमन –

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा मे प्रथम उल्लंघन तिथि की सिद्धि के पश्चात् ऐसे दिन के लिये जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा वृन्दावन
मथुरा

Scanned by CamScanner